

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

दिनांक

फर्द अहकाम

मुंज 112/14 तारीख 22/12-14

उपनाम - किस्तूरी बनाम बनवारी
वमे मन्कपुरा

दावा बाबत इस्तकार एक तकास्मा व
स्थायी निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्री मदनमोहन शर्मा Adv.
ने दावा बाबत घोषणा खातेदारी तकास्मा
व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। दस्तावेजों
का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज
रजिस्टर कर प्रतिवादी को सम्मन जारीये
तलब किया जाके। पत्रावली दिनांक 9.2.15
को पेश हो।

3787-3804
23.12.14

उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करोली)

9.2.15 वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी नम्बर 2, 3,
4, 5, 14 के सम्मन परिवार के सदस्यों से, प्रतिवादी
नं. 6, 7, 11, 13, 18 के सम्मन स्वयं से तथा प्रति
वादी नं. 1 का सम्मन चत्यानगरे से तामील
होष्पु ग्राम हुए हैं। प्रतिवादी नं. 12, 15, 16
के सम्मन अरुण तामील ग्राम हुए हैं तथा
प्रतिवादी नं. 8, 9, 10 के सम्मन रस अरुण
रिपोर्ट से ग्राम हुए हैं कि ग्राम रेणा तटकील
वेर में नहीं है। प्रतिवादी नं. 17 का सम्मन
वापिस ग्राम नहीं हुआ है। प्रतिवादी नं.
में से कोई उपस्थित नहीं है। 1.0. सम्मन
करोली पधारें। आर्डिना दि 16.3.15 को
पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम	
9/17	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील व वादी कोई उपास्थित नहीं। बार 2 आवाज दिलाई गयी। फिर भी कोई उपास्थित नहीं। इसलिये वाया अदम हाजरी अदम पेशी में खारिज किया जाता है। फेसल शुभार होकर नम्बर से कम कर पत्रावली दाखिल दफतर हो</p>	